

30

**Rajasthan State Pollution Control Board**  
4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur  
Phone : 5159603, 5159604 PBX : 5159699  
E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in  
Web : environment.rajasthan.gov.in/rpcb

एफ 16/ई.पी.आर. (ई वेस्ट-109)/रा.प्र.नि.मं./1

दिनांक : 23.04.2019

**ई-वेस्ट उत्पादकों/ब्रांड स्वामियों/आयातकों हेतु विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकरण (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस**

ई-वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के प्रावधानानुसार सभी उत्पादकों (Producers)/ब्रांड स्वामियों (Brand Owners)/आयातकों (Importers) द्वारा उनके उत्पादों का पुनः संग्रहण करना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ई-वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के तहत विस्तारित उत्पादक दायित्व-प्राधिकरण (Extended Producer Responsibility-Authorization) के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों की पालनार्थ राज्य में स्थित ई-वेस्ट उत्पादकों (Producers)/ब्रांड स्वामियों (Brand Owners)/आयातकों (Importers) आदि को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 30.04.2019 से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में ई-वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के प्रावधानानुसार प्रारूप 1 में आवेदन प्रस्तुत करके इस विभाग को अवगत करावें। दिनांक 30.04.2019 तक आवेदन नहीं करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी, जिसमें सम्पूर्ण गतिविधियां बंद किया जाना एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करना सम्मिलित होगा।

डीआईपीआर/सी/3538/2019

सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य  
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर